महत्वपूर्ण

संख्या– – /86–2020–183/2011

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ: दिनांक 23 मई, 2020

विषय:– **प्रदेश में खनिजों की भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण करने की दृष्टि से उ0प्र0 खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 प्रभावी है। वर्तमान में कोविड–19 के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण खनिजों की मांग कम हो गई है और पट्टाधारक नियमावली के प्राविधान के अनुसार जनपद में खनिजों के भण्डारण अनुज्ञप्ति हेतु अर्ह नहीं हैं। खनिज उद्योगों के सामने अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। मानसून अवधि में बालू/मौरम की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भण्डारण क्षमता में वृद्धि के लिये पट्टाधारकों को भी अपने जनपद में दिनांक 31.12.2020 तक भण्डारण अनुज्ञप्ति के लिये अर्हता में सम्मिलित करने सम्बन्धी अधिसूचना सं0–729/86–2020– 183/2011 दिनांक 22.05.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2020 (छायाप्रति संलग्न) प्रख्यापित की गई है। उक्त नियमावली, 2020 का संशोधित नियम–4(1) निम्नवत् है :–

Eligibility for grant of licence and storage of minerals –

(1)Every Person shall be eligible for grant of license except the following persons:-

(a) a person who is not an Indian National;

(b) a company which is not in the ambit of Companies Act, 2013:

(c) a person who is convicted by a court:

(d) a person whose license has been cancelled for violation of terms and condition of a previous license:

Scanned by CamScanner

(e) lessee in case of river bed minerals for the concerned district **except in the Storage license period ending on 31.12.2020 owing to conditions arising from Covid-19 pandemic**

2. अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानसून अवधि (दिनांक 01.07.2020 से 30.09.2020 तक) में विकास कार्यों के साथ–साथ जन सामान्य को उचित दर पर बालू/मौरम की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, पट्टाधारकों को भी पट्टे से सम्बन्धित जनपद में भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत करते हुये भण्डारण क्षमता में वृद्धि हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्तानुसार पट्टाधारक को जनपद में स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञप्ति अधिकतम् दिनांक 31.12.2020 तक प्रभावी रहेगी। भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु नियमावली के अन्य प्राविधान यथावत प्रभावी रहेंगे।

भवदीया,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्या : 700 (1)/86–2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नाराण सिंह यादव)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner